

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.9 (16)गृह-5/2020

जयपुर, दिनांक 20.05.2020

आदेश

पूर्व में समसंख्यक आदेश दिनांक 13.05.2020 के द्वितीय अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति में "एवं विदेश" के स्थान पर "के विभिन्न भागों से" पढ़ा जाये।

यह स्पष्ट किया जाता है कि विदेश से आ रहे राजस्थानी प्रवासियों के सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आदेश दिनांक 5 मई, 2020 के द्वारा निर्धारित SOP पूर्व अनुसार ही लागू रहेगी।

  
(राजीव स्वरूप)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान
6. उप सचिव, मुख्य सचिव
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त
8. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर
9. पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, समस्त रेंज
10. समस्त कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर
12. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

  
शासन सचिव, गृह